"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर 2006—भाद्र 20, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 11392/300/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-9-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 28 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

जनसाधारण के हित में और साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने, कृषिक पशु वध का प्रतिषेध करने के लिये और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मांस" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु का मांस;

(ख) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशु, से है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो, से है;

(घ) "संस्था" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती के अधीन कृषिक पशु को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी कृषिक पशु को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था, से है;

(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए, से है;

(च) "परिवहन" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु को वाहन द्वारा या पैदल अथवा अन्य किसी साधन से ले जाना;

(छ) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ज) "यान" से अभिप्रेत है, भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गये यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन.

पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.

3. राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

कृषिक पशु के वध का प्रतिषेध.

4. कोई भी व्यक्ति किसी कृषिक पशु का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा, और न वध के लिये देगा और न उन्हें वध के लिये दिलवाएगा.

कृषिक पशु मांस रखने पर प्रतिषेध.

5. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किये गये किसी कृषिक पशु के मांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा.

वध के लिये गौ वंश के परिवहन पर प्रतिषेध.

6. कोई भी व्यक्ति किसी कृषिक पशु का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसके वध के प्रयोजन के लिये या यह जानते हुये कि उसका इस प्रकार वध किया जावेगा या वध किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर या राज्य के बाहर के किसी स्थान को न तो बिक्री करेगा, न परिवहन करेगा, न ही परिवहन के लिये देगा और न उसका परिवहन कराएगा.

जप्त कृषिक पशुओं की अभिरक्षा एवं मासिक विवरण.

7. अभियोजन की कार्यवाही के निर्णय होने तक जप्त कृषिक पशुओं को निकटतम पंजीकृत गौशाला, गौसदन, गौसंरक्षण संस्थान या पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में दिया जायेगा, उक्त पंजीकृत संस्था कृषिक पशुओं का निर्धारित प्रपत्र में मासिक विवरण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगी.

संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण.

8. राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये आवश्यक कदम उठायेगी, जो कृषिक पशुओं के कल्याण में लगी हुई है.

प्रभारों का उद्ग्रहण.

9. संस्था का भारसाधक व्यक्ति, कृषिक पशु जिसे धारा 7 के अंतर्गत संस्थाओं की अभिरक्षा में रखा गया हो उनकी देखभाल तथा भरण-पोषण के लिये उनके स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसा कि विहित किये जाए.

शास्ति.

10. जो कोई धारा 4, 5 एवं 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.

11. इस अधिनियम की धारा 4, 5 या 6 के उपबंधों का उल्लंघन के लिए धारा 10 के अधीन दण्डनीय किसी उपधारा के किसी विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि कृषिक पशु का वध, परिवहन या विक्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं था.

अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्र. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.

प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.

13. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इसके अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करें तथा उनका निरीक्षण करें.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी ऐसे परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी या लिखित में सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रायोजन के लिये अपेक्षित करें, और यथास्थिति उस सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी यान को रोके या तलाशी लें.

(4) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्र. 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण को लागू होंगे.

14. इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति को तब तक प्रतिभूति अथवा स्वयं के बंधपत्र पर मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे मुक्ति हेतु आवेदन के विरोध करने का अवसर लोक अभियोजन को न दिया जाये. — जमानत का उपबंध.

15. राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, जो कि इस अधिनियम से प्रत्यक्षत: प्रभावित हो, के आर्थिक पुनर्वास के लिये नियम बना सकेगी. — पुनर्वास.

16. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्‌भावपूर्वक किया जाना आशयित हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी. — सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

17. समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे. — इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.

18. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे. — अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

19. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक समीचीन प्रतीत होते हों, — कठिनाई दूर करने की शक्ति.

20. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए. — नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा पटल पर रखा जायेगा.

21. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम क्र. 18) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है, परन्तु या निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा— — निरसन तथा व्यावृत्ति.

(एक) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात, या

(दो) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, जप्ती या दण्ड, या

(तीन) पूर्वोक्त प्रकार की किसी भी शास्ति, जप्ती या दण्ड के संबंध में कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, जप्ती या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है.

अनुसूची

देखिये धारा-2 (ख)

कृषिक पशु—

(1) सभी आयु के गायें

(2) बछड़ा-बछिया और पाड़ा-पड़िया

(3) सांड

(4) बैल

(5) भैंसा, भैंसे

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 11392/300/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2006)

THE CHHATTISGARH AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION ACT, 2004

TABLE OF CONTENTS

Section :

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2006)

THE CHHATTISGARH AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION ACT, 2004

An Act to provide, in the interest of the general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaugther of Agricultural cattle and for matters connected thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Agricultural cattle Preservation Act. 2004.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Beef" means flesh of Agricultural cattle ;

(b) "Agricultural cattle" means an animal specified in the schedule ;

(c) "Competent Authority" means a person appointed by the State Government by notification to perform in any local area specified therein, the functions of a Competent Authority under this Act;

(d) "Institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, breeding and maintaining Agricultural cattle or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny;

(e) "Slaugther" means killing by any method whatsoever and includes maining or inlicting of physical injury which in the ordinary course will cause death;

(f) "Transport" means carring Agricultural cattle through vehicle or through walking or through any other means;

(g) "Veterinary Officer" means a person appointed as a veterinary officer under section 3;

(h) "Vehicle" means any mechanically or manually driven conveyance used on land, water or air.

Appointment of veterinary officer.

3. The State Government, may by a general or special order, appoint for the purpose of this Act, any person, or class of persons, to be the veterinary officer for a local area.

Prohibition of Slaughter of Agricultural cattle.

4. No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered. slaughter or any Agricultural cattle.

5. No person shall possess beef of any Agricultural cattle slaughtered in contravention of the provisions of this Act. — **Prohibition on Possession of beef**

6. No person shall sell, or transport or offer to transport or cause to be transported any Agricultural cattle from any place within the state to any place within the state or outside the State. for the purpose of its slaughter in contravention of the provision of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be, so slaughtered. — **Prohibition on transport of Agricultural cattle for slaughter.**

7. Till the conclusion of prosecution, seized Agricultural cattle will be under custody of nearest registered Goshala, Gosadan, Gorakshan sansthan or other registered sansthan and they are required to provide monthly report to concerned court in prescribed proforma. — **Possession of seized agricultural cattle and Monthly reports.**

8. The State Government shall take necessary steps for strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of Agricultural cattle. — **Strengthening of institutions.**

9. The person incharge of the institution may levy such charges as may be prescribed, for care and maintenance of Agricultural cattle whose custody was given to the institution under section 7. from their owners. — **Levy of charges.**

10. Whoever contravenes or attempt to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4, 5 and 6 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both. — **Penalties.**

11. In any trial for an offence punishable under section 10 for contravention of the provision of section 4, 5 and 6 of this Act the burden of proving that the slaughter, transport or sell of Agricultural cattle was not in contravention of the provisions of this Act shall be on the accused. — **Burden of proof on accused.**

12. Nothwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable. — **Offences to be cognizable and non-bailable.**

13. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the Competent Authority or the Veterinary officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary officer in writing in this behalf, shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed. — **Power of entry and inspection.**

(2) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall allow the Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary officer in writing, such access to the premises as may be required for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority, the Veterinary officer or the person authorised, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.

(3) The Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised in writing, in this behalf, shall have power to stop and search any vehicle to ensure the compliance of section 6 of this Act.

(4) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

14. No person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release. — **Provision of bail**

Rehabilitation.

15. The State Government may make rules for the economic rehabilitation of such persons, if any, to be directly affected by this Act.

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act, or the rules made thereunder.

Officers exercising powers under this Act, deemed to be public servant.

17. All Competent Authorities, Veterinary Officers and other persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public sevants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Act to have overriding effect.

18. The provisions of this Act shall have an overriding effect notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to remove difficulties.

19. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties.

Power to made rules.

20. (1) The State Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act which shall have effect from the date of its publication or from such other date as may be specified in this behalf.

(2) The rules made under this Act shall, as soon as possible after they are published be laid on the table of the Legislative Assembly.

Repeal and Saving.

21. Agricultural Cattle Preservation Act 1959 (Act No. XVIII of 1959) is hereby repealed, the repeal shall not effect :—

(1) the previous operation of any law so repealed or anything done or suffered there under; or

(2) any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(3) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any penalty, forfeiture or punishment as aforesaid ; and

any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

SCHEDULE
Section 2 (b)

Agricultural cattle—

1. Cows of all ages.
2. Calves of cows and of she buffaloes.
3. Bulls.
4. Bullocks.
5. Male and Female buffaloes.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.